न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :– 1/2024 जी0एम0एस0 नम्बर :–2024/34

1. उत्तम कुमार डूंडलोदिया पुत्र सुभाषचन्द डूंडलोदिया जाति ब्राह्मण निवासी सी–88 कैपीटल हाउस श्याम मार्ग सुभाष नगर जयपुर राजस्थान।

—: प्रार्थी :—

बनाम्

1. जनकू पुत्री गोरधन पत्नी ईश्वर शर्मा, आयु 78 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी ग्राम मानसर खेडी, तहसील बस्सी जिला जयपुर, हाल निवासी चावण्ड का मंड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

—: अप्रार्थीया :—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

—:निर्णय:—

दिनांक 20.06.2025

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी हेतु पेश हुई। प्रार्थना पात्र का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि भूमि वादग्रस्त खसरा खसरा नम्बर 78 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 348 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 403 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 27 बीघा हाल खसरा नम्बर 349 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.7208 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.9104 है0, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.873 है0, खसरा नम्बर 78 रकबा 5.3250 हैक्टेयर वाके ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है, जिसे भूमि वादग्रस्त कहकर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीया/प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में भूमि वादग्रस्त अप्रार्थीया/प्रार्थीया की पैतृक खुदकाश्त की कृषि भूमि है। जिस पर अप्रार्थीया/प्रार्थीया अपने 1/2 हिस्से पर लगातार निरन्तर रूप से शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त तथ्य अप्रार्थीया/प्रार्थीया ने न्यायालय के समक्ष झूंठे मनगढंत एवं बेबुनियाद तथ्य अंकित किये है। वास्तविकता में वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि नहीं है तथा ना ही उक्त भूमि पर अप्रार्थीया/प्रार्थीया का कब्जा रहा है। बिना कब्जे के अप्रार्थीया/प्रार्थीया का काबिज होकर काश्त करना केवल मात्र काल्पनिक तथ्य है। वादग्रस्त भूमि में खसरा नम्बर 349, 348, 352, 351 का प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज होकर डेयरी फार्म बनाकर निरन्तर रूप से कृषि करता चला आ रहा है। अप्रार्थीया/प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कब्जे सम्बन्धित तथ्य झूंठे अंकित किये है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि की मौका स्थिति न्यायालय के समक्ष आना प्रकरण की गुणावगुण निस्तारण के लिए आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब किया जाना आवश्यक है। क्योंकि वादिया उक्त स्थगन की आड लेकर मौका स्थिति में परिवर्तन करने पर एवं साक्ष्य एकत्रित करने पर आमादा है। प्रकरण के गुणावगुण निस्तारण के लिए भूमि वादग्रस्त की मौका रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी से तलब किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार बस्सी को आदेशित किया जावे कि वे वाद की विषयवस्तु को बनाये रखने के लिए मौका रिपोर्ट तैयार कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

वही प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर अवगत करवाया कि उत्तरदात्री वदीनी के द्वारा अपने वादपत्र में पूर्वज गोवरधन वल्द बलदेव के समय से पूर्व खसरा नम्बरान को अंकित कर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें वादपत्र के मद संख्या 3, 4 व 5 में भूमि एकीकरण खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2019 के खसरा नम्बरान विवादग्रस्त के सम्बन्ध में उनवानी वादपत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की

Scanned with OKEN Scanner

ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णतः मस्तिष्क की उपज से वर्णित कर प्रस्तुत किया गया होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि वादीया उत्तरदात्री के द्वारा अपनी विरासत संबंधित समस्त दस्तावेजात की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जो कि तत्समय वादीनी उत्तरदात्री के पूर्वज के नाम दर्ज रही है तथा वादीनी विरासत में प्राप्त विवादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर शांतिपूर्वक निरन्तर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त तथ्य वास्तविक व सत्य तथ्य हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीनी उत्तरदात्री को बेकब्जा करने के कुत्सित उद्देश्य की पूर्ति में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसकी विधि के द्वारा इजाजत नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मिथ्या, बनावटी व कानूनी मस्तिष्क की उपज से वर्णित किया गया हैं, जो कि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने हक में साक्ष्य एकत्रित करने का मंशा रखता है। जिसकी कानून इजाजत नहीं दी जा सकती है। वादीनी उत्तरदात्री के द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण का सही एवं सम्यक निस्तारण सम्भव है। प्रतिवादी संख्या 1 अपने पक्ष में साक्ष्य एकत्रित करने के अवैधानिक मंशा से प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 1 के हक में साक्ष्य एकत्रित करने की इजाजत विधि के द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह प्रार्थना पत्र वादीनी उत्तरदात्री के वाद पत्र को देरिना करने की कुत्सित मंशा में विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया होने से अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र संव्यय खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र असत्य, बेबुनियाद तथ्यों पर उत्तरदात्री वादीनी को बेकब्जा करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में साक्ष्य एकत्रित करने तथा वादीनी के प्रकरण को देरिना करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया होने से प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पर बहस सुनी गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों एवं पेश कानूनी नजीरों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 349, 348, 352, 351 स्थित ग्राम मानसर खेडी प.ह. मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीया/प्रार्थीया के वादग्रस्त खसरा नम्बर 349, 348, 352, 403 व 78 स्थित ग्राम मानसर खेडी प.ह. मानसर खेडी तहसील बस्सी में पैतृक हक हिस्सा होने से वादपत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश होकर न्यायायल में विचाराधीन है। "माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा बनवारी बनाम् बाबूलाल में यह मत किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 26 नियम 9–अन्तरिम स्थगन आदेश एकपक्षीय पारित किया और कमिश्नर नियुक्त किया धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र में कमिश्नर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है–कमिश्नर नियुक्त कर साक्ष्य एकत्रित नहीं की जा सकती है।" जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रकरण को मात्र देरीना करने की गरज से पेश किया जाना प्रतित होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 39 आदेश 7 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया जाने योग्य नहीं होने पर न्यायहित में खारिज जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner